स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>प्रेस नोट संख्या 99, दिनांकः 03-04-2024</u>

दिनांक 17 व 18 फरवरी-2024 को हुई उ0प्र0 आरक्षी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र टी0सी0आई0 एक्सप्रेस कम्पनी अहमदाबाद में सेंध लगाकर पेपर लीक कराने वाला मास्टर माइण्ड राजीव नयन मिश्र गिरफ्तार।

दिनांक 17 व 18 फरवरी-2024 को हुई उ0प्र0 आरक्षी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र टी0सी0आई0 (ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन आफ इण्डिया प्रा0लि0) एक्सप्रेस कम्पनी अहमदाबाद सेंध लगाकर पेपर लीक कराने वाला मास्टर माइण्ड राजीव नयन मिश्र को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-</u>

राजीव नयन मिश्रा पुत्र स्व0 दीनानाथ मिश्रा मूल निवासी ग्राम अमौरा थाना मेजा जनपद प्रयागराज हाल पता-म0नं0 97 भारत नगर जेके रोड निकट महर्षि पतंजली योगा केन्द्र के पास भोपाल।

<u>गिरफ्तारी का दिनांक/स्थान/समयः-</u>

परीचौक के पास से, थाना नालेज पार्क गौतमबुद्धनगर क्षेत्र दिनांक 02-04-2024 समय लगभग 19.30 बजे।

उल्लेखनीय है कि एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ को दिनांक 17 व 18 फरवरी 2024 को हुई पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में सेंध लगाकर प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह के सम्बन्ध मे सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। जिसके सम्बन्ध में श्री राजकुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट, नोएडा के पर्यवेक्षण एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 नोएडा के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री अक्षय त्यागी एस0टी0एफ0 नोएडा द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 02-04-2024 को एस0टी0एफ0 यूनिट गौतमबुद्धनगर की टीम को अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 166/24 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि एवं 3/4/7/8/9 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में वांछित अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा भोपाल से दिल्ली आया हुआ है और वह आज किसी से मिलने एलजी चौक, ग्रेटर नोएडा के पास जायेगा। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एस0टी0एफ0 नोएडा टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए गन्तव्य स्थान पर पहुॅचकर घेराबंदी करके अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र 32 साल है और उसने सत्यसाई यूनिवर्सिटी, भोपाल से सिविल इंजीनियरिंग में बी0टेक किया है। माता-पिता की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उसने अपने मामा के यहॉ रहकर पढाई की तथा वर्ष-2010 में बी0टेक

करने के लिए टी0आई0टी0 कालेज भोपाल में एडमिशन लिया, यहीं पर इसकी मुलाकात मधुबनी बिहार निवासी सुभाष प्रकाश एंव अतुल वत्स से हुई। यह दोनो भोपाल के विभिन्न कालेजों में पैसा लेकर एडमिशन कराने का गैंग चलाने लगे। अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा की वर्ष 2019 में तरूणेष अजारिया उर्फ गुरूजी (जो भोपाल का रहने वाला था और पैसा पेपर लीक कराकर भर्ती कराने का गैंग चलाता था।) अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा ने तरूणेष अजारिया के साथ मिलकर भोपाल के एन0एच0एम0 के अन्तर्गत नर्सिंग स्टाफ की भर्ती का पेपर लीक कराया जिसमें अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा, तरूणेष अजारिया के साथ ग्वालियर से जेल गया था। इस सम्बन्ध में ग्वालियर क्राईम ब्रॉच पर मु0अ0सं0 15/23 धारा 420/467/468/471 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। अतुल वत्स ने अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा की मुलाकात डा0 शरद से कराई थी, जो पेपर लीक कराने का गैंग चलाता था और गौतमबुद्धनगर निवासी रवि अत्री से भी जुड़ा हुआ था। डा0 शरद के माध्यम से अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा की मुलाकात रवि अत्री से हो गयी थी। इसके बाद रवि अत्री एवं अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा ने मिलकर उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराया था। अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर रीवा मध्य प्रदेश के शिव महाशक्ति रिसोर्ट में लगभग 300 परीक्षार्थियों को पेपर पढाया था तथा अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा द्वारा रवि अत्री एंव विक्रम पहल उर्फ हवलदार व अन्य गैंग के अन्य सदस्यों के साथ गुरूग्राम हरियाणा के ग्रीन वैली रिसोर्ट में काफी अभ्यार्थियों को पेपर पढाया गया था। अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा ने पूछताछ में यह भी बताया कि जनपद झांसी में बन्द मोनू गुर्जर और रजनीश रंजन तथा गौतमबुद्धनगर जेल में बन्द मोनू पंडित, गौरव तथा प्रमोद पाठक पुराने परिचित हैं तथा सभी मिलकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार से धांधली करके पैसा लेकर भर्ती कराने का गैंग चलाते हैं।

अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 166/24 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि एवं 3/4/7/8/9 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के अभियोग में वांछित चल रहा था जिसको गिरफ्तार कर इस अभियोग में दाखिल कराया गया है। थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ पर पंजीकृत उक्त अभियोग की विवेचना उ0प्र0 एस0टी0एफ0 की यूनिट मेरठ द्वारा की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा से अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में गहनता से छानबीन की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त राजीव नयन मिश्रा के विरूद्व निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है-</u>

1– मु0अ0सं0 522/21 धारा 420/467/468/471 भादवि एवं 66 डी आईटी एक्ट थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी ।

2– मु0अ0सं0 15/23 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि ग्वालियर क्राईम ब्रान्च ग्वालियर मध्य प्रदेश।

3– मु0अ0सं0 166/24 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि एवं 3/4/7/8/9 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम थाना कंकरखेडा मेरठ।

––